



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032020-218572  
CG-DL-E-07032020-218572

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941

No. 883]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

का.आ. 987(अ).—केंद्रीय सरकार, विमान वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 4क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अध्याय 3 के नियम 24 के अनुसरण में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तथा निक्षेपी द्वारा संशोधित की गई दायित्व की सीमाओं को प्रभावी करने के लिए इसे आवश्यक अथवा समीचीन समझते हुए, यह निदेश जारी करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के प्रावधान निम्नानुसार संशोधित होंगे, अर्थात् :--

1. नियम 21 में उपनियम (1) में, “एक लाख तेरह हजार एक सौ” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ इक्कीस” शब्दों को रखा जाएगा ;

2. नियम 22 में,--

(क) उपनियम (1) में, “चार हजार छह सौ चौरानवे” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार तीन सौ छियालीस” शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में, “एक हजार एक सौ इकतीस” शब्दों के स्थान पर, “एक हजार दो सौ अट्ठासी” शब्दों को रखा जाएगा ;

(ग) उपनियम (3) में, “उन्नीस” शब्दों के स्थान पर, “बाईस” शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. एवी-11012/9/97-ए(वी.3)]

अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** विमान वहन अधिनियम, 1972 के तीसरी अनुसूची के नियम 21 और 22 में अंतर्विष्ट दायित्व सीमाओं को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2159, तारीख 16 जून, 2016 द्वारा पहले भी संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

**S.O. 987(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4A of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) and pursuant to rule 24 of Chapter III of the Third Schedule to the said Act, the Central Government, having regard to the provisions of the said Act, and considering it necessary or expedient to give effect to the limits of liability as revised by the depositary, hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provisions of the Third Schedule of the said Act shall stand amended as follows, namely: —

1. In rule 21, in sub-rule (1), for the words “one lakh thirteen thousand one hundred”, the words “one lakh twenty-eight thousand eight hundred twenty-one” shall be substituted;
2. In rule 22, —
  - (a) in sub-rule (1), for the words “four thousand six hundred and ninety four”, the words “five thousand three hundred forty-six” shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (2), for the words “one thousand one hundred and thirty one”, the words “one thousand two hundred eighty-eight” shall be substituted; and
  - (c) in sub-rule (3), for the word “nineteen”, the words “twenty-two” shall be substituted.

[F. No. AV-11012/9/97-A (Vol.III)]

ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.

**Note :** The liability limits contained in rules 21 and 22 of the Third Schedule to the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) were earlier revised *vide* notification number S.O. 2159 dated the 16th June, 2016.